राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन न:0141–2228060–62,फैक्स न:0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website :www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 9( )/आरएमएससी/भण्डार/वाहन चालक/2026–27/1131 दिनांक : 02/07/2026

अल्पकालीन ई–निविदा

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर मुख्यालय के राजकीय वाहनों हेतु 05 कुशल वाहन चालक हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है। अतः इच्छुक फर्में अपना प्रस्ताव दिनांक 09.07.2026 को अपराह्न 03.00 बजे तक प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ लाखों में)	अल्पकालीन ई–निविदा शुल्क (₹)	RISL प्रोसेसिंग फीस (₹)	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि एवं समय	प्रि–बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई–निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड) खोलने की तिथि एवं समय
1.	कुशल वाहन चालक कुल संख्या 05	12.13	24260/-	1180.00 (with GST)	590.00 (with GST)	03.07.2026 03:00 बजे	06.07.2026 11.00 बजे	09.07.2026 12.00 बजे	09.07.2026 3.00 बजे	10.07.2026 3.00 बजे

अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट ''*http://eproc.rajasthan.gov.in*'' से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट ''*www.dipronline.org*'', ***sppp**.rajasthan.gov.in*एवं *rmsc.health.rajasthan.gov.in* पर देखा जा सकता है। अल्पकालीन ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट ''*http://eproc.rajasthan.gov.in*'' पर ही प्रस्तुत की जाएगी। (UBN No-MSC2027SLRC00038)

अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि Rs. 1180.00 (1000+18%GST), **RISL प्रोसेसिंग फीस राशि Rs. 590.00** (500+18%GST) **व बोली प्रतिभूति राशि Rs. 24260.00 के अलग–अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 09.07.2026 समय 3.00 बजे तक प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, नवीन भवन तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के कक्ष संख्या 07 में भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होगें अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।**

विशेषाधिकारी
आरएमएससी

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नः0141–2228060–62,फैक्स नः0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in
CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website :www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

प्रपत्र–अ

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मुख्यालय जयपुर पर वाहन चालक की सेवा हेतु अल्पकालीन ई–निविदा की शर्तें

निगम मुख्यालय पर उपलब्ध राजकीय वाहनों के चालन के लिए वाहन चालक की सेवा हेतु सेवा प्रदाता फर्म/संस्था जिन्हें वाहन चालक की सेवाएँ प्रदान करने के कार्य का अनुभव हो, से निविदा आंमत्रित करने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 15 के अन्तर्गत अनुरोध किया जाता है **साथ ही निविदा के साथ संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार ही दस्तावेज प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करायेः–**

ऐसी फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिसे एक या अधिक राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम/भारत सरकार/भारत सरकार के उपक्रम में वाहन चालक की सेवा प्रदान करने के कार्य का अनुभव रहा हो। निविदा प्रस्तुत कर सकते है। इच्छुक फर्म/सेवा प्रदाता ऐजेन्सी दिनांक 09.07.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक संलग्न प्रपत्र में निविदा प्रस्ताव राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत कर सकती है।

1. सेवा प्रदाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह वाहन चालकों की सेवाओं के लिए वांछित वाहन चालक का लाइसेन्स, अनुभव तथा पहचान यथा पेन कार्ड/आधार कार्ड आदि से संबंधित दस्तावेजों की पूर्व जाँच करना सुनिश्चित कराएँ।
2. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, अनुपस्थित दिनों का वेतन आनुपातिक रूप से काट लिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कही से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये गये अधिक भुगतान की वसूली सेवा प्रदाता फर्म से की जाएगी।
3. सेवा प्रदाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा।
4. उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता फर्म की होगी।
5. सेवा प्रदाता फर्मद्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

6. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

- निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) अथवा (2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) का औसत टर्न ऑवर रू. 7.00 लाख प्रतिवर्ष हो। इस हेतु वांछित सनदी लेखाकार से प्रामाणिक दस्तावेज की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
- बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 03 वित्तीय वर्ष में केन्द्र/ राज्य/राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाए/परियोजनाए/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में न्यूनतम 05 प्रशिक्षित वाहन चालक सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है।
- गत 03 वर्ष (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में फर्म द्वारा न्यूनतम 05 इकाई वाहन चालक का किसी सरकारी विभाग/ बोर्ड/निगम में उपलब्ध करवाने के कार्यानुभव में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये, कि फर्म द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान संविदा कर्मचारियों का EPF एवं ESI अंशदान समय पर जमा करा दिया गया है एवं फर्म उक्त राशि जमा कराने में डिफाल्टर नहीं है।
- आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/ शाखा का पूर्ण पत्ता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर एव–E-mail ID सहित देना अनिवार्य है।
- सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
- यदि कोई निविदादाता पूर्व के अनुबन्धों में EPF/ESI अंशदान जमा कराने में डिफाल्टर रहा है तो उसको तकनीकी रूप से अपात्र (Non-Responsive) माना जाएगा एवं उसकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।
- वित्तीय निविदा में अगर एक से अधिक फर्में न्यूनतम दर (एक ही दर) वाली आने पर, जिस निविदादाता का गत तीन वर्षों का औसत टर्न ऑवर अधिक होगा उसी को न्यूनतम दरदाता माना जाएगा।
- सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:–

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम,				

	1958**या** इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत **या** इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

7. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD) प्रबंध निदेशक, आरएमएससी के नाम जो जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

MSME फर्मों को बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

8. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान वाहन चालक की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए वाहन चालक की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

9. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को होगें। साथ ही स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को कार्य विभाजन का भी अधिकार होगा। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। अपूर्ण निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation) एवं बिना बातचीत स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

10.अनुमानित राशि का आंकलन

उपर्युक्त बिन्दु संख्या–1 में वर्णित वर्तमान कार्यरत वाहन चालक की अनुमानित संख्या 05 है, जिसमें आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रू. 12.13 लाख है। निगम द्वारा स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर/जीएसटी टीडीएस की कटौति करते हुए राशि का भुगतान किया जाएगा।

11. निविदा अनुबन्ध की अवधि

अल्पकालीन ई–निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 अल्पकालीन ई–निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

12.अनुबन्ध

दो या दो से अधिक फर्मों की दरें (सर्विस चार्ज) समान आने पर फर्म की विगत 03 वर्षों से ओसत टर्नऑवर के आधार पर जिस फर्म का अधिक होगा, उसे L-1 Bidder मानते हुए Work Contract किया जायेगा।

सफल निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि ₹ 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। करार के पश्चात् वाहन चालक सेवाएँ बढाई/घटाई जा सकती है।

13.भुगतान की शर्ते

निविदा में सफल रही अनुबन्धित फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन चालक सेवा इकाईयों के उपस्थिति प्रमाण पत्र माह की अन्तिम तारीख तक प्राप्त कर आगामी बिल माह की 03 तारीख तक निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ताकि आगामी माह की 07 तारीख तक सेवा इकाईयों को भुगतान हो सके। विलम्ब की स्थिति में सेवा प्रदाता से राशि रू 100/– (प्रति दिवस प्रति सेवा इकाई के अनुसार) शास्ति की वसूल की जायेगी।

निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता/सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।

14.भुगतान की जिम्मेदारी

निगम द्वारा निविदादाता (सेवा प्रदात्ता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान किया जाएगा। निगम अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वाहन चालक सेवा इकाई को प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान निविदादाता (सेवाप्रदाता) फर्म द्वारा किया जाएगा। वाहन चालक के भुगतान नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल भुगतान कर निगम को सूचित करना होगा।

15.मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तो के संबंध मे निगम का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

16. सर्विस चार्ज

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें (सर्विस चार्ज) में सभी प्रकार के खर्चे यथा–कार्यालय व्यय, समन्वय खर्च, निरीक्षण चार्ज, सर्टिफिकेट संबंधित खर्च, बोली प्रतिभूति का ब्याज/खर्च एजेंसी का लाभांश आदि सम्मिलित होंगे।

अगर यह पाया जाता है कि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें औचित्यपूर्ण नहीं है, अर्थात निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार के खर्चे, मैनेजमेन्ट फीस ऑवरहेड चार्जेस आदि समाहित/वहन (meet out) नहीं हो रहे हैं तो, RMSCL द्वारा निविदादाता से विस्तृत Rate Justification माँगा जा सकता हैं।

यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें स्वीकार्य (Feasible) नहीं है तो न्यूनतम ऑफर (L1) निरस्त किया जाकर RMSCL अगले न्यूनतम दर वाले निविदादाता या Most Advantages Bidder/Offer को स्वीकार करेगी।

17.कार्यादेश का निरस्तीकरण

निगम को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किये पूर्णतः/आशिंक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/ विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

18.निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–2 के नियम 68 निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

19.किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

20.वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार–बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

21.सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

22.<u>हित का विरोध–</u>

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नही हैः–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

23.<u>उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण</u> –प्रथम अपील प्राधिकारी विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 **अपीलः–**

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'द')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

24.अपील का प्रारूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

25.अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

26.अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

27. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

विशेषाधिकारी
आरएमएससी

भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल सेवा प्रदाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

मैं/हमने .....उक्त अनुरोध पत्र की शर्तों को भली–भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त शर्तों का पूर्ण रूप से पालन हेतु कटिबद्ध है।

दिनांक

सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन न:0141–2228060–62,फैक्स न:0141–2228065 ई–मेल :osdrmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website :www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 9( )/आरएमएससी/भण्डार/वाहन चालक/2026–27/ दिनांक :

प्रपत्र "ब" BOQ Formet

निगम मुख्यालय जयपुर पर राजकीय वाहनों हेतु वाहन चालक की सेवाऐं प्राप्त करने के लिए निविदा प्रस्ताव

फर्म का नाम व पता :–

.....

.....

वित्तीय निविदा

क्रम संख्या	सेवा का नाम/ श्रमिक की श्रेणी	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा मय संख्या			नियोक्ता का अंशदान		कुल राशि (5+6+7)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज(कॉलम संख्या 8 की राशि पर)		GST दर प्रतिशत	कुलराशि (8+10+11)
		अनुमानित श्रमिकों की संख्या	RMSC द्वारा निर्धारित मजदूरी दर प्रति इकाई प्रतिमाह राशि रू	निविदादाता द्वारा प्रति इकाई प्रतिमाह प्रस्तावित मजदूरी की राशि	EPF राशि रू	ESI राशि रू		प्रतिशत	राशि रू		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वाहन चालक	05	14021/-								

नोट :– 1. निविदादाता द्वारा **निर्धारित प्रपत्र (BOQ) में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा** अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।

- **सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कॉलम संख्या 5 से 11 तक की पूर्ति स्वयं को करनी होगी तथा कॉलम संख्या 5 में बेसिक राशि प्रति इकाई प्रतिमाह भरी जानी है।**
- **सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कॉलम संख्या 8 की राशि पर ही सर्विस चार्ज की प्रतिशत एवं राशि अंकित की जानी है। जैसे– 2%, 5% इत्यादि।**
- **अनौचित्यपूर्ण दरें (Non-feasible) स्वीकार्य नहीं होंगी। निविदादाता का न्यूनतम सर्विस चार्ज 01% से कम मान्य नही होगा जिसमें सभी खर्चे/मैनेजमेन्ट फीस/ऑवरहेड चार्जेज आदि समाहित करते हुए दरें प्रस्तुत करनी है।**

हस्ताक्षर निविदादाता

प्रपत्र –'स'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .....का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C, Receipts payment (Income & Expanditure A/C) की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि **Rs.** लाखों में)
1.	2022–23	
2.	2023–24	
3.	2024–25	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

अथवा

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि **Rs.** लाखों में)
1.	2023–24	
2.	2024–25	
3.	2025–26	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांकः

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या
तथा UDIN नम्बर सहित

प्रपत्र – द

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... [First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official Address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (endose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

   .....

   .....

   ..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

   .....

   .....

Place ..... Date

.....

Appellant's Signature

RajKaj Ref No.: 23152994

प्रपत्र –'य'

ई–निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में गत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है एवं आपूर्तित सेवा इकाईयों का EPF/ESI अंशदान संबंधित विभागों में हमारे द्वारा समय पर जमा कराया गया है। इसमें हम Defaulter नहीं है यदि उक्त तथ्य गलत पाया जाता है, तो संबंधित विभाग हमारे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर हमारी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही कर सकता है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulterका कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

CHECK LIST

NAME OF TENDER – Vehicle Driver

S No.	M/s Particular	Document (Yes/No)	Page No.
1	**Tender Fees**		
2	**RISL Precessing Fee**		
3	**Bid Security**		
4	**GST Registration -**		
5	**MSME Status**		
6	**PAN No.**		
7	**Director/Proprieter/Partner Name**		
8	प्रपत्र "अ" निविदा प्रपत्र संलग्न है अथवा नहीं		
9	प्रपत्र –'स' विगत तीन वर्षों (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) अथवा (2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) का औसत टर्न ऑवर रू. 7.00 लाख जिसकी सनदी लेखाकार से प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नही		
10	बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 03 वित्तीय वर्ष में केन्द्र/ राज्य/राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाए/परियोजनाए /बोर्ड/समिति /आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में न्यूनतम 5 प्रशिक्षित वाहन चालक सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव है अथवा नही		
11	आवेदक का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय/ शाखा का पूर्ण पत्ता, दूरभाष नम्बर की सूची संलग्न है अथवा नही तथा फर्म के अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता संलग्न है अथवा नही		
12	प्रपत्र "द" संलग्न है अथवा नहीं		
13	प्रपत्र "य" आपूर्तित सेवा इकाईयों का EPF/ESI अंशदान संबंधित विभागों में हमारे द्वारा समय पर जमा कराया गया है। इसमें हम Defaulter नहीं है संलग्न है अथवा नहीं		
14	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970		
15	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952		
16	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948		
17	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत		
18	रजिस्ट्रेशन पंजिकरण प्रमाण पत्र है अथवा नहीं		

नोट :– उपरोक्तानुसार चैक लिस्ट में चाहे गये दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का दस्तावेज मान्य नहीं होगा। यदि फर्म द्वारा किसी भी प्रकार अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न किया जाता है तो उसकी निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।

Document certified by Jai Singh <jaising001@gmail.com>.
Digitally Signed by Jai Singh
Designation : Executive Director
Date :02-07-2026 06:32:02